माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक–20 मार्च, 2024 को राजभवन, पटना में राज्यान्तर्गत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं सचिव, शिक्षा विभाग के साथ सम्पन्न बैठक की कार्यवाही ।

माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में राज्यान्तर्गत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों एवं सचिव, शिक्षा विभाग के साथ आहूत बैठक में विश्वविद्यालय से संबंधित कतिपय एजेंडा पर विस्तृत रूप से समीक्षा की गयी। उक्त बैठक में सम्मिलित महानुभावों की सूची **(अनुलग्नक–1)**।

उक्त बैठक में निम्नांकित एजेंडा पर विश्वविद्यालयवार विस्तृत रूप से विचार किया गया :–

1. **विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों, जिसमें कोई संकाय उपलब्ध नही हैं, के संबंध में सभी विश्वविद्यालयों द्वारा सूची उपलब्ध करायी गयी है, जो निम्नवत है:–**

I. कुलपति, **पटना विश्वविद्यालय,** पटना द्वारा बताया गया कि उनके विश्वविद्यालय में बंगाली विषय के शिक्षक नहीं है, शेष सभी विषय के शिक्षक हैं । शिक्षक रहित विषयों को सेवानिवृत शिक्षक द्वारा पढ़ाया जा रहा हैं ।

II. कुलपति, **ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय,** दरभंगा द्वारा बताया गया कि उनके विश्वविद्यालय में रिक्त पदों की कुल संख्या–117 हैं, 19 ऐसे विषय हैं, जिनमें पद स्वीकृत होते हुए भी एक भी शिक्षक नही हैं। अतिथि शिक्षक की संख्या–381 हैं।

III. कुलपति, **बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय,** मुजफ्फरपुर द्वारा बताया गया कि उनके विश्वविद्यालय में 28 विषयों के लिए कुल 1690 पद स्वीकृत हैं, जिसमे कार्यरत नियमित शिक्षको की संख्या 637, अतिथि शिक्षकों की संख्या–501 तथा रिक्त पदों की संख्या–552 हैं।

IV. कुलपति, **वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा** द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय में 965 पद के विरुद्ध 351 नियमित शिक्षक एवं 264 अतिथि शिक्षक हैं।

V. कुलपति, **भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय,** मधेपुरा द्वारा बताया गया कि उनके विश्वविद्यालय में 14 विषयों में से 11 विषयों के शिक्षक नही है ।

VI. कुलपति, **मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर** द्वारा बताया गया कि स्नातकोत्तर विषय में शिक्षक एवं शिक्षकेतर का कोई भी पद स्वीकृत नही हैं। स्नातकोत्तर विषय स्वीकृति की प्रत्याशा में चल रहा हैं, स्नातक के शिक्षक स्नातकोत्तर में पढ़ा रहे हैं ।

VII. कुलपति, **पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना** द्वारा बताया गया कि पाली एवं बंगाली में कोई भी शिक्षक नही हैं।

VIII. कुलपति, **पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ** द्वारा बताया गया कि 782 पद स्वीकृत है जिनमें 178 नियमित शिक्षक है, तथा 60 अतिथि शिक्षक है। विभिन्न महाविद्यालयों में 25 विषयों के कुल 115 शिक्षक नही है ।

IX. कुलपति, **तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर** द्वारा बताया गया कि 15 विषयों के 44 स्वीकृत पद के विरुद्ध कोई भी नियमित शिक्षक नही है ।

X. कुलपति, **जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा** द्वारा बताया गया कि 11 विषयों में 28 शिक्षक नही है।

XI. कुलपति, **नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना** द्वारा बताया गया कि उनके विश्वविद्यालय में कोई भी नियमित शिक्षक नही हैं। समन्वयक (Co-ordinatior) के रुप में सेवानिवृत प्राफेसर की सेवा लीया जाती हैं।

XII. कुलपति, **मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय**, पटना द्वारा बताया गया कि 32 स्वीकृत पद है जिसमें 16 पद खाली हैं ।

XIII. प्रति–कुलपति, **कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय**, दरभंगा द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय के 16 विषयों के 180 पद रिक्त हैं।

XIV. कुलपति, **मगध विश्वविद्यालय, बोधगया** द्वारा बताया गया कि नवम्बर 2023 के आधार पर 504 शिक्षक का पद रिक्त है, ग्यारह विषयों में विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में शिक्षक उपलब्ध नही है ।

XV. कुलसचिव, **आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय**, पटना द्वारा बताया गया कि 201 पद स्वीकृत हुआ है जिसमें से 61 शिक्षक है । 4 ऐसे विषय है जिनमें कोई शिक्षक नही है।

XVI. कुलपति, **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर** द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय में 676 स्वीकृत पदो के विरुद्ध 202 पद रिक्त है।

XVII. कुलसचिव, **बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय**, पटना द्वारा बताया गया कि सभी विषय के शिक्षक है ।

उक्त बिन्दु के संबंध में सभी कुलपतियों द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की कमी से शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रहा है । सचिव, शिक्षा विभाग के द्वारा बताया गया कि इस संबंध में अतिथि शिक्षकों की सहायता ली जाय । अतिथि शिक्षकों के संबंध में कुलपतियों द्वारा बताया गया कि अतिथि शिक्षक के भुगतान हेतु राज्य सरकार से राशि उपलब्ध न होने की स्थिति में लगभग 11 माह से उनके वेतन का भुगतान नही हो सका है। जिसके तहत शिक्षा विभाग द्वारा उन्हे निदेशित किया गया है कि विश्वविद्यालय के आंतरिक स्रोत से अतिथि शिक्षकों का भुगतान किया जाय। इसपर सभी कुलपतियों द्वारा आपति व्यक्त की गयी।

तदोपरान्त माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग को निदेशित किया गया कि उक्त मामले में आवश्यक कार्रवाई करें।साथ ही माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा कुलपतियों को भी निदेश दिया गया कि शिक्षको के स्वीकृत बल के तहत रिक्त पदों की समीक्षा की जाय एवं रिक्त पदों की सूचना शिक्षा विभाग, बिहार पटना को उपलब्ध करायी जाय। साथ ही 3+1 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम में समावेशित वैसे विषयों के शिक्षकों के संबंध में भी नियुक्ति हेतु शिक्षा विभाग, बिहार सरकार को पत्र प्रेषित किया जाय, जिसके संबंध में स्वीकृत बल पूर्व से निर्धारित नही है, ताकि रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जा सकें।

2. सभी विश्वविद्यालयों द्वारा बैंक खातों की संख्या, संचालन पदाधिकारी का नाम एवं दिनांक–14.03.2024 तक बची हुई राशि के संबंध में उपलब्ध करायें गये विवरण निम्नवत है:–

क्रम संख्या	विश्वविद्यालय का नाम	कुल बैंकों खातों की संख्या	संचालन पदाधिकारी	दिनांक–14.03.2024 तक उपलब्ध कुल राशि
1.	पटना विश्वविद्यालय, पटना	42	बजट एवं एकाउन्ट अधिकारी, कुलसचिव, वित पदाधिकारी एवं परीक्षा नियंत्रक एवं अन्य पदाधिकारी	1,749,980,173.94 रुपया
2.	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा	121	कुलसचिव, वित पदाधिकारी, विभागाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारी	2,248,130,678.22 रुपया
3.	भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	11	कुलसचिव, वित पदाधिकारी, एवं अन्य पदाधिकारी	1,102,549,606.00 रुपया
4.	मगध विश्वविद्यालय, बोधगया	27	कुलसचिव, वित पदाधिकारी, एवं अन्य पदाधिकारी	3172820575-29 रुपया
5.	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	19	कुलसचिव, वित पदाधिकारी, एव अन्य पदाधिकारी	6967.11 लाख रुपया
6.	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा	20	कुलसचिव एवं वित पदाधिकारी,	51654161.46 रुपया
7.	मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना	12	कुलसचिव, वित पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी	366109982 रुपया
8.	बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर	34 कुछ समय उपरान्त 10 खातों को बन्द करने की बात कुलपति द्वारा कही गयी है।	कुलसचिव एवं वित पदाधिकारी	1,810,129,872.52 रुपया
9.	तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर	2	कुलसचिव, वित पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी	उपलब्ध राशि के संबंध में कोई भी

				अभिलेख उपलब्ध नही है।
10.	आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	27	कुलसचिव एवं वित पदाधिकारी	146023499.73 रुपया
11	पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ	26 3 संचालन में नही है।	कुलसचिव, वित पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी	437,711,930.07 रुपया
12	वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	3	कुलसचिव एवं वित पदाधिकारी	1,186,696,026.42
13	मुँगेर विश्वविद्यालय, मुँगेर	13 1 खाता निकट भविष्य में बन्द करने की बात कही गयी है।	कुलसचिव, वित पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी	7217070.61 रुपया
14	पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना	20	कुलसचिव, वित पदाधिकारी एवं अन्य पदाधिकारी	1,019,957,141.66 रुपया
15	नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना	10	कुलपित, प्रति–कुलपति, कुलसचिव, वित पदाधिकारी	55508517 रुपया
16	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर,	17 2 खाता अप्रैल से बन्द कर दिया जायेगा।	नियंत्रक,उप–नियंत्रक एवं सहायक नियंत्रक (मुख्यालय) एवं सहायक नियंत्रक (बजट एवं पेंशन)	457091100 रुपया
17	बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना	18	लेखा पदाधिकरी, संकायाध्यक्ष एवं अन्य	779037324.5 रुपया

उक्त बिन्दु के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सूची पर सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि कई विश्वविद्यालय ऐसे है जिसमें अत्यधिक संख्या में बैंक खाता है (ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा--121 बैंक खाता) जिसका विश्वविद्यालय द्वारा reconciliation नहीं किया जाता है जिससे विश्वविद्यालय को ज्ञात भी नही होता कि संबंधित बैंक में कितने राशि उपलब्ध है, साथ ही यह भी बताया गया कि विश्वविद्यालय में कैश बुक नही लिखा जाता है।

इसपर विश्वविद्यलयों द्वारा बताया गया कि स्टाफ की कमी के कारण बैंक खातों का reconciliation (मिलान) एवं कैश बुक का प्रबंधन नही हो पा रहा है।

जिसपर माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्न निदेश दिया गया कि:

1- विश्वविद्यालय यथासंभव आवश्यक खातों का ही संचालन करें।

2 कैश बुक प्रबंधन एवं बैंक खातों का reconciliation (मिलान) एक आवश्यक कार्य है, इसलिए किसी चार्टेड एकाउन्टेंट या अन्य स्टाफ की सहायता से उक्त कार्यो को निश्चित रुप से किया जाय।

3. अंकेक्षण स्थिति

I. कुलपति, **भूपेन्द्र नारायण मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा** द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 तक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है ।

II. कुलपति, **जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा** द्वारा बताया गया कि वर्ष 2022–23 तक का अंकेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

III. कुलपति, **तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर** द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 तक अंकेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

IV. कुलपति, **पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ** द्वारा बताया गया कि वर्ष 2021–22 तक आंतरिक एवं राज्य सरकार द्वारा अंकेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है । जबकि सितम्बर, 2023 तक महालेखाकार द्वारा Performance Audit का कार्य किया गया है ।

V. प्रति–कुलपति, **कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा** द्वारा बताया गया कि जनवरी 2017 से मार्च 2022 तक का अंकेक्षण का कार्य पूर्ण हो चुका है।

VI. कुलपति, **पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना** द्वारा बताया गया कि जुलाई 2023 तक महालेखाकार द्वारा अंकेक्षण किया जा चुका है।

VII. **सभी विश्वविद्यालयों** के कुलपतियों द्वारा बताया गया कि शिक्षा विभाग के अंकेक्षक जो विश्वविद्यालय में अंकेक्षण कार्य करने जाते हैं, वो अंकेक्षण के उपरान्त अकेक्षण में पायी गयी आपत्तियों से विश्वविद्यालय को अवगत नहीं कराते हैं, जिसके कारण विश्वविद्यालय उन आपत्तियों का जवाब नहीं दे पाती हैं। साथ ही कुलपतियों द्वारा यह कहते हुए आपत्ति व्यक्त किया गया कि विश्वविद्यालय में आंतरिक अंकेक्षण का कार्य शिक्षा विभाग द्वारा बार–बार किया जा रहा है। सभी कुलपतियों द्वारा आंतरिक अंकेक्षण के लिए विश्वविद्यालय में चार्टर्ड एकाउंटेंट का पद राज्य सरकार से स्वीकृत कराने की बात कही गयी। सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा कुलपतियों को बताया गया कि विश्वविद्यालय अपने आंतरिक संसाधन से आंतरिक अंकेक्षण हेतु एक चार्टर्ड एकाउंटेंट की सेवाएं ले सकता है। साथ ही सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालय कर्मियों को नियम विरुद्ध दिये जा रहे अग्रिम भुगतान पर भी रोक लगाने की बात कही गयी। जिसपर महालेखाकार द्वारा भी आपत्ति जतायी गयी है।

माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग को निदेशित किया गया कि विश्वविद्यालय के अंकेक्षण के दौरान जो भी आपत्ति पायी जाती है, उन आपत्तियों से विश्वविद्यालय को अवश्य अवगत करायें, ताकि विश्वविद्यालय उसका जबाव दे सकें। साथ ही राज्य सरकार द्वारा एक ही वित्तीय वर्ष का, वर्ष में कई बार अंकेक्षण कराये जाने पर भी माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नाराजगी व्यक्त किया गया एवं यह भी निदेशित किया गया कि प्रावधान/नियमों के आलोक में ही विश्वविद्यालयों का अंकेक्षण कार्य किया जाय।

4 & 5. यू.आई.एम.एस एवं आई.टी शाखा का स्थिति

I. कुलपति, **पटना विश्वविद्यालय, पटना** द्वारा बताया गया कि M/s RMS Techno Solutions India Pvt. Ltd. द्वारा UIMS का कार्य लिया जा रहा है । डाटा विश्वविद्यालय के पास है।

II. कुलपति, **ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय**, दरभंगा द्वारा बताया गया कि M/s RMS Techno Solutions India Pvt. Ltd., Lucknow द्वारा UIMS का कार्य लिया जा रहा है । डाटा विश्वविद्यालय के डाटा सेंटर में है ।

III. कुलपति, **बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा द्वारा** बताया गया कि ITI (A Govt. Of India Undertaking) द्वारा UIMS का कार्य लिया जा रहा है । जिसका प्रथम वर्ष का Contarct 10-04-2019 से 09-04-2020 & Renewal Contarct Period 26-05-2020 से 25-05-2024 तक है। वर्ष 2019 तक का डाटा विश्वविद्यालय के पास है। शेष वर्षो का डाटा प्राप्त होने के उपरान्त ही भुगतान करने की बात कही गयी । साथ ही अपना Software Developed करने की भी बात कही गयी।

IV. कुलपति, **मगध विश्वविद्यालय, बोधगया** द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय में UIMS अन्तर्गत ही सभी प्रकार का कार्य सम्पन्न/ संचालित हो रहें है।

V. कुलपति, **जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा** द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय ने समर्थ से कनेक्ट कर लिया है । विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर में अपना सोफ्टवेयर को implement कर लिया है।

VI. प्रति–कुलपति, **कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय**, दरभंगा द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय में UIMS के अन्तर्गत Student Life Cycle हेतु चयनित ऐजेंसी को निर्देशित किया गया है कि आनेवाले सत्र से सभी कार्य ऑनलाईन करें ।

IFLIBNET के अंतर्गत Soul Software पर पुस्तकालय प्रबंधन के कार्य को किया जा रहा है।साथ ही वर्तमान में 2 मोडूल्स पर कार्य संचालन है।

VII. कुलपति, **मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय**, पटना द्वारा बताया गया कि UIMS करने के लिए दिनांक–16.03.2024 को आदेश दिया गया है।

VIII. कुलपति, **तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर द्वारा** बताया गया कि पूर्व कुलपति द्वारा वर्ष 2019 में 17 मोड्यूल्स का अनुबंध हुआ है। परन्तु कार्य 2 मोडूल्स पर ही हुआ है। वर्तमान कुलपति द्वारा अगस्त 2023 से पूर्व की कम्पनी से अनुबंध को समाप्त कर दिया गया है । वर्तमान में ऑफलाईन मोड में कार्य हो रहा है।

IX. कुलपति, **बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर द्वारा** बताया गया कि वर्ष 2019 से UIMS के कार्य संचालन है । वर्तमान में डाटा सेंटर का भुगतान नही किया गया है अपना डाटा सेंटर बनाने की बात कही गयी है।

X. कुलपति, **आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा** बताया गया कि वर्ष 2016 से UIMS के तहत कार्य संचालन है परन्तु वर्तमान समय में समर्थ को अपनाने की बात कही गयी।

XI. कुलपति, **वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा द्वारा** बताया गया कि पूर्व का डाटा विश्वविद्यालय के पास है मार्च 2024 से एक वर्ष का Contract हुआ है।

XII. कुलपति, **पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ द्वारा** बताया गया कि Silicon Techlab Pvt., Bhubneshwar की कम्पनी की सहायता से वर्ष 2021 से UIMS संचालन है साथ ही यह भी कहा गया कि डाटा विश्वविद्यालय के पास है।

XIII. कुलपति, **मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर द्वारा** बताया गया कि SMV Infotech Services Pvt. Ltd कम्पनी की सहायता से वर्ष 2022 से UIMS संचालन है ।

XIV. कुलपति, पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना द्वारा बताया गया कि सितम्बर, 2021 से 4 वर्ष के लिए सहायता ली जा रही है एवं डाटा विश्वविद्यालय के पास है। उन्होंने यह भी कहा कि अपना ERP System होना चाहिए ।

XV. कुलपति, **नालंदा खुला विश्वविद्यालय, नालंदा द्वारा** बताया गया कि वर्ष 2020 से UIMS संचालन है ।

XVI. कुलपति, **बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर** तकनीकि शाखा एवं कुलसचिव द्वारा कार्य संचालित होता है एवं डाटा विश्वविद्यालय के पास है।

XVII. कुलपति, **बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना द्वारा** बताया गया कि NIC से MOU हुआ है एवं Outsourcing पर रखे गये कर्मी द्वारा संचालित है। डाटा सेंटर University में हैं।

- कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा को छोड़कर सभी विश्वविद्यालय में आई.टी. शाखा संचालित है।

UIMS पर विमर्श के क्रम में ज्ञात हुआ कि कई विश्वविद्यालय के पास UIMS का सभी डाटा उपलब्ध नहीं हैं ।

उक्त संबंध में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सभी कुलपतियों को निदेशित किया गया कि UIMS को संचालित करने वाली एजेंसी से सभी डाटा निश्चित रुप से विश्वविद्यालय अपने पास प्राप्त कर लें एवं आई.टी. शाखा को इस तरह से Devlope करें कि विश्वविद्यालय की बाहरी एजेंसी पर निर्भरता को समाप्त किया जा सके । भविष्य में इस पर आवश्यक कार्रवाई करने की आवश्यक्ता है। इसलिए माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा शिक्षा विभाग से पृच्छा की गयी कि आई.टी. शाखा स्थाई रुप से होगा या बाहरी एजेंसी के

माध्यम से होगा। आई.टी शाखा में कार्यरत कर्मियों का वेतन का भुगतान राज्य सरकार करेंगी अथवा नहीं ? इस पर सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि विभाग में विचार कर निदेश निर्गत किया जायेगा ।

5. **शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मियों के सेवान्त लाभ भुगतान से संबंधित स्थिति की समीक्षा की गयी समीक्षा के क्रम में ज्ञात हुआ कि लगभग सभी विश्वविद्यालयों में** Leave encashment के मामले राज्य सरकार से राशि उपलब्ध न होने तथा ग्रुप बीमा का मामला योजना के बन्द होने के बाद भी अधतन सूद मांगने तथा पूर्व के विश्वविद्यालयों द्वारा अंशदान सूद सहित उपलब्ध नही कराये जाने की स्थिति में लंबित हैं ।

मगध विश्वविद्यालय के द्वारा बताया गया कि 455 करोड़ की राशि की मांग राज्य सरकार से की गयी है। परन्तु राशि अप्राप्त रहने के कारण सेवानिवृत कर्मियों का सेवान्त लाभ का भुगतान नहीं किया जा सका हैं । इस संदर्भ में अन्य विश्वविद्यालय के कुलपतियों द्वारा भी यही बात बताया गया। जिसके प्रत्युत्तर में सचिव, शिक्षा विभाग द्वारा बताया गया कि मगध विश्वविद्यालय के पास वेतन एवं पेंशन मद में 109 करोड़ की राशि उपल्बध है **जिसे खर्च करने के उपरान्त जो भी आवश्यक राशि है, उसकी मांग करें। इसी प्रकार अन्य विश्वविद्यालय भी कार्रवाई करें।**

उक्त बिन्दुओं के संबंध में माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सभी कुलपति को निदेशित किया गया कि वेतन एवं पेंशन मद की राशि को खर्च करने के उपरान्त शेष राशि की मांग राज्य सरकार से करें । साथ ही **शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों के सेवानिवृत के दिन ही सेवान्त लाभ का भुगतान सुनिश्चित किया जाय एवं ग्रुप बीमा के लंबित सभी मामले के संबंध में नियमानुसार भुगतान कर मामले को समाप्त किया जाय।**

6. अन्यान्यः–

1. शिक्षा विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों के कुलपति पर प्राथमिकि दर्ज करने तथा विश्वविद्यालय पर खाता संचालन पर रोक लगाने, राजभवन के बिना संज्ञान में लाये विश्वविद्यालयों में वर्ष में अनेक बार अंकेक्षण कराये जाने आदि का उल्लेख करते हुए कुलपतियों द्वारा कहा गया कि उक्त कृत्य से विश्वविद्यालय के कार्य पूरी तरह प्रभावित हो रहें है, जो विद्यार्थी हित में नही है। **जिसपर माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा सचिव, शिक्षा विभाग को निदेशित किया गया कि इस संबंध में यथाशीघ्र आवश्यक कार्रवाई करें ।**
2. **माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा नये सत्र में विश्वविद्यालय में छात्र एवं छात्राओं के नामांकन के संबंध में कुलपतियों को निदेशित किया गया कि बहुत से ऐसे छात्र है जो उनके निकट महाविद्यालय मे नामाकंन नही होने**

के कारण नामांकन नहीं ले पा रहें है। जिसपर ध्यान देने की आवश्यकता है ।

अंत में राज्यपाल के प्रधान सचिव द्वारा धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक को समाप्त किया गया।

माननीय कुलाधिपति महोदय के आदेश से,

ह0/–

(रॉबर्ट एल. चोंग्थू)

राज्यपाल के प्रधान सचिव

ज्ञापांकः–बी.एस.यू.(मिटिंग)–12/2022(पार्ट)– 659 /रा.स.(I), दिनांक– 07/05/2024

प्रतिलिपिः–

1. सभी कुलपति, बिहार के सभी विश्वविद्यालय को सूचना एवं बैठक में लिये गये निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने की दिशा में यथावश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
2. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना ।
3. सभी संबंधित पदाधिकारी एवं विश्वविद्यालय शाखा के सहायकगण को सूचना एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।
4. आई. टी., मैनेजर को राजभवन के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित ।
5. संधारक, गार्ड फाईल ।

7.5.2024

राज्यपाल के प्रधान सचिव

अनुलग्नक– I

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
1.	कुलपति मगध विश्वविद्यालय, बोधगया
2.	कुलपति ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा
3.	कुलपति वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा
4.	कुलपति बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर
5.	कुलपति तिलका माँझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर
6.	कुलपति नालन्दा खुला विश्वविद्यालय, पटना
7.	कुलपति (अतिरिक्त प्रभार) पटना विश्वविद्यालय, पटना
8.	कुलपति जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा
9.	कुलपति मौलाना मजहरूल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय, पटना
10.	कुलपति मुँगेर विश्वविद्यालय, मुँगेर
11.	कुलपति पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय, पटना
12.	कुलपति पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ
13.	कुलपति भूपेन्द्र नारायण मण्डल विश्वविद्यालय, मधेपुरा
14.	कुलपति बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर
15.	कुलपति आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय, पटना

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम
16.	कुलपति **बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, पटना**
17.	प्रति–कुलपति **कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय, दरभंगा**